न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः 032/2025

प्रेम कुमार पुत्र स्व. जोतराम जाति जाट निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:प्रार्थी

बनाम्

1 कलावती देवी पत्नी स्व. जोतराम जाति जाट निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 सुमनलता पुत्री जोतराम पत्नी अनिल सहारण जाति जाट निवासी चक 2 बी.एल.डब्ल्यू. (बी) पोस्ट आफिस खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

-:अप्रार्थीगण

उपस्थितः-

1 श्री राजेशदीप राय - अधिवक्ता प्रार्थी

2 श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

3 श्री शमशेर सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

4 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 3

-:निर्णयः-

दिनांक :- 17.04.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि राजस्व वाद अनवानी कलावती बनाम प्रेम कुमार आदि में प्रार्थी की ओर से काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है।

यह कि चक 33 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/1/228, 6/2/025, 11 ता 14, 15/1/228, 15/2/025, 16/1/228, 16/2/025, 17 ता 22, पत्थर नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/228, 3/2/025, 8 ता 12 कुल 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के पिता जोतराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी ।

यह कि प्रार्थी के पिता जोतराम की मृत्यु दिनांक 01.10.2013 को हो चुकी है। जोतराम को कैंसर की बीमारी थी जिसका इलाज [illegible] लाखों रूपये प्रार्थी के खर्च हुए थे। प्रार्थी की सेवा भावना से प्रार्थी के माता [illegible] व [illegible], मामा, चाचा आदि प्रसन्न थे। प्रार्थी के पिता जोतराम के देहान्तोपरांत उसके [illegible] प्रार्थी के मामा व अप्रार्थीया संख्या 1 के सगे भाई [illegible] सियाग निवासी गोलूवाला व प्रार्थी के चाचा राजेन्द्र कुमार व पुत्र मामराज निवासी करणी[illegible] व भुआ तुलसीदेवी, परमेश्वरी देवी व कस्तूरी देवी व अन्य रिश्तेदार व समाज व परिवार के मौजिज व्यक्तियों के रोबरू अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग कर दिया तथा उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी को सौंप दिया तभी से उपरोक्त समस्त भूमि प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:23:37 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है, लेकिन उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी के अधिकारों, पर धुंध छा गई है व अप्रार्थीगण 1 व 2 उपरोक्त भूमि में 2/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 33 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/1/228, 6/2/.025, 11 व 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/. 228, 16/2/ 025, 17 ता 22, पत्थर नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/228, 3/2/ 025, 8 ता 12 कुल 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने योग्य है।

यह कि उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपरोक्त कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने उपरोक्त कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे हैं जबकि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के हक व अधिकार की है तथा उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने को कटिबद्ध हैं। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 33 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025, 11 ता 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 22, पत्थर नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 12 कुल 4. 807 हैक्टेयर कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने नाम दर्ज 2/3 हिस्सा कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने तथा प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में बेजा दखलंदाजी करने व प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

यह कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि चक 33 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025, 1114, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 22, पत्थर नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 12 कुल 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने नाम दर्ज 2/3 हिस्सा कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने तथा प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में बेजा दखलंदाजी करने व प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता खुशप्रीत सिंह व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से [illegible] अधिवक्ता श्री शमशेर सिंह संलग्न मूल वाद में उपस्थित हो चुके है। हस्तगत प्रार्थना में प्रार्थी [illegible] व अप्रार्थी सं. 1, 2 अधिवक्ता उपस्थित रहे। बहस उभयपक्ष प्रार्थना [illegible] 212 [illegible] सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रस्तुत नजीरों का ससम्मानपू[illegible] अध्ययन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:23:37 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न जमाबंदी, प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण अभिलिखित सह-काश्तकार है और चक 33 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 12/7 में दर्ज तादादी 4.807 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम ब.हि.ब. 1/3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है और प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के पिता व अप्रार्थी सं. 1 के पति जोतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जरिये मूल वाद पत्र अपने हिस्से की अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी का विभाजन अनुतोष याचित किया है। चूंकि विवादाग्रस्त भूमि संयुक्त आराजी है जिसमें प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक आराजी के हिस्से पर हक है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य एक दावा अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में विचाराधीन है। विभाजन द्वारा विशिष्ट भूमि के निर्धारण से पूर्व प्रत्येक अभिलिखित सह-काश्तकार अपने हक व हिस्से की हद तक अपनी नाम दर्ज आराजी का उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि चूंकि वाद ग्रस्त आराजी को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों में विवाद है और यदि वादग्रस्त आराजी को रहन-बैय या अन्तरण किया जाता है तो वाद-बाहुल्यता बढने की संभावना है लेकिन दुसरे अप्रार्थी सं. 1, 2 महिला है जो अभिलिखित काश्तकार भी है, स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से अपने हक व हिस्से की आराजी को उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से ही साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है यद्यपि उभयपक्ष अभिलिखित काश्तकार है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से ही साबित होता है। अतः यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय या अन्तरण करते है तो प्रार्थी को असुविधा हो सकती है। लेकिन चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का भी हिस्सा है और यदि इस हद तक आराजी के उपभोग में बाधा कारित की जाती है तो अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:23:37 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी क्षतिक्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी कलावती का दावा अंतरित विभाजनात्मक विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को आंशिक रूप से अपूर्णीय क्षति होगी।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश आंशिक रूप से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश दिनांक 07.02.2025 बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि वे चक 33 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 12/07 में दर्ज तादादी 4.807 है. कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाए उभयपक्ष ता-फैसला वाद, रहन, बैय व अन्तरण करने से निषिद्ध (Prohibited) रहे व प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने हिस्से की हद तक आराजी के उपयोग व उपभोग के लिए स्वतंत्र है व दुसरे के दुसरे के हक व हिस्सा में दखलअंदाजी न करे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:23:37 IST
Reason: SelfAttested